पशुपालक अपने मवेशी को सड़क पर खुला न छोड़े

भिलाईनगर/निगम क्षेत्र के पशुपालकों के पशुओं का टेगिंग एक माह के भीतर किया जायेगा, बिना टेगिंग के मवेशी पाये जाने पर जप्ति की कार्यवाही की जावेगी। मवेशियों को सड़क पर आवारा न छोड़े इससे होने वाले वाहन दुर्घटना से जन हानि और पशुधन की हानि होती है। आयुक्त रोहित व्यास ने निगम सभागार में आहुत पशुपालको की बैठक में कहा कि राज्य शासन के निर्देश पर रोका छेका संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी पशुपालाकों की बैठक बुलाकर यह सुनिश्चित करने कहा है कि कोई भी पशुपालक अपने मवेशी को सड़क पर नहीं छोड़े आप सब अपने पशुओं को चरवाहा के साथ सड़क के किनारे किनारे चराने के लिए ले जाये। पशु सड़क पर रहने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होने कहा कि शहर के सभी पशुपालको को अपने मवेशी का एनिमल टेगिंग करवाना अनिवार्य है। इसके लिए पशुपालन विभाग आपके खटाल में जाकर पशु मालिक की उपस्थिति में टेगिंग करेगा और आपके नाम पर पशु को पंजीकृत करेगा। जो पूर्णतः निःशुल्क होगा, इस कार्य में आपका सहयोग आवश्यक है। एक माह में सम्पूर्ण निगम क्षेत्र के खटाल मालिकों के मवेशियों का टेगिंग तथा पंजीयन होने के बाद जो जानवर बिना टेगिंग के सड़क पर पाया जायेगा , उसे आवारा मवेशी जानकर निगम जप्त करेगा।

श्री व्यास ने कहा कि निगम द्वारा सड़क पर घूमने वाले तथा झुण्ड बनाकर बैठे मवेशियों को पकड़कर गौठान में रखा जा रहा है। एनिमल टेगिंग की शुरूवात गौठान में रखे गये 800 से अधिक गाय, बैल, सांड से किया जायेगा। उन्होने कहा कि यदाकदा यह शिकायत मिलता है कि निगम द्वारा चलाये जा रहे रोका छेका संकल्प अभियान में लगे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है जो उचित नहीं है, ऐसी शिकायत पर निगम शासकीय कार्य में बाधा के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाया जायेगा। खटाल संचालक अजय यादव , भूपेन्द्र यादव, मनोहर सिंग यादव एवं ज्योति शरण शर्मा द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सार्थक जवाब भी उन्हे दिया गया। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने पशुपालकों से कहा कि जिनको गोकुल नगर में खटाल के एवज मेंे भूमि आबंटित किया गया है तत्काल अपना खटाल घनी आबादी क्षेत्र में बंद कर गोकुल नगर में संचालित करे। उन्होने निगम के राजस्व एवं स्वास्थ्य अमले से कहा कि पुनः सर्वेक्षण कर पता लगाये कि कितने खटाल संचालक गोकुल नगर में आबंटन के बाद भी घनी बस्ती में अभी भी खटाल संचालित कर रहे है।

बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी , उपसंचालक पशु चिकित्सा डाॅ. डी.डी.झा. , पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ सुपेला, डाॅ. संजीव कुमार सिरमौर , जोन स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सुपरवाइजर सहित निगम क्षेत्र के पशुपालक उपस्थित थे।